फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

बिलाल बनाम **अकुर**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 117 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
10.06.2022	प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 07.07.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी	
7/7/22	वकील प्रार्थी उपस्थित गैर नोहर उप. नहीं गैरसायल की तलबी हेतु सम्मन रजिस्टर सम्मन पेश कर पत्रावली दिनांक 16/9/22 को पेश हो	
16/9/22	पत्रावली पेश हुई श्रीमान एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दि० 5/12/22 को पेश हो।	
5/12/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। गैर सायल उपस्थित नहीं। गैरसायल की तलबी हेतु सम्मन पेश नहीं। आगामी पेशी पर आवश्यक तौर से रजि० सम्मन पेश करें। पत्रावली दि० 24/02/23 को पेश हो	
24/2/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दि० 10/3/23 को पेश हो।	
10/3/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है 22/3/23 को पेश हो।	
22/3/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दि० 24/3/23	
24/3/23	पत्रावली पेश हुई। [illegible] प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कि मूल दावा [illegible] में खारिज हो चुका है। प्रार्थीगण पत्र बिक्री करवाना चाहते है। मूल दावा खारिज किया जा चुका है। प्रार्थीगण पत्र चलने का कोई औचित्य भी नहीं है। पत्रावली [illegible] प्रार्थीगण पत्र बिक्री किया जावे। पत्रावली रजिस्ट्र के तौर पेश दाखिल दफ्तर हो।	बिड़ो [signature] न्यायालय मजिस्ट्रेट नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:50:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner